उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2

क0नि0–2–766 / ग्यारह–9(203) / 92–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(11)–2008
लखनऊ : दिनांक : 04 मार्च, 2008

## अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 13 के खण्ड (उन्तालीस्) के साथ पठित धारा 6 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 01 जनवरी, 2008 से, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश से पूर्व लिखने, मुद्रण या पैकिंग में उपयोग का कागज जिसमें समाचार पत्र का कागज सम्मिलित नही है, की खरीद या बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) के अधीन व्यापारी द्वारा देय कर की सीमा तक, ऐसे माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर सन् 2007 के उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से, छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

( गोविन्दन नायर )
प्रमुख सचिव।